RR-12011/6/2022-RR Section-Dr. RMLH
भारतसरकार/GOVERNMENT OF INDIA
अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं
डॉ. राममनोहरलोहियाअस्पतालनईदिल्ली
ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES &
DR. RAM MANOHAR LOHIA HOSPITAL, NEW DELHI

दूरभाष/Tele: 23404860/23365525
फेक्स/Fax: 23361758

दिनांक/Dated, the 24/12/ 2022

To,

Officer-in-charge
Server Room
Dr. RML Hospital
New Delhi

Sub: Uploading of Recruitment Rules attached to the post of Optometry Officer in Dr. RML Hospital, New Delhi on the hospital website- reg.

Sir,

Please find enclosed Recruitment Rules of:-

1. Optometry Officer - GSR No.194 dated 13.12.2022

for uploading on the Hospital website.

It is further requested that the above information should invariable be displayed on the website of Dr. RML Hospital, New Delhi in a catalogued and indexed manner as per the provisions of RTI Act, 2002 so that the same may be accessible easily to all the persons.

Encls: As stated (1 sets)

Yours faithfully,

Digitally Signed by Ram Bhagat Kushwaha
Date: 23-12-2022 16:07:44
Reason: Approved

(R.B. Kushwaha)
Deputy Director(Admn.)

Optometry Officer

	Note:- Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F .No. 23011/97/2022-BPR&D]

W. HITLER, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली दृष्टिमिति अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दृष्टिमिति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, दृष्टिमिति अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दृष्टिमिति अधिकारी	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600 -151100/-रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400/-रुपये) में ऐसे ज्येष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और सुसंगत क्षेत्र में विभाग या मंत्रालय द्वारा यथाविहित 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑप्टोमेट्री में बैचलर डिग्री। (ii) सौ बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में ऑप्टोमेट्री में दो वर्ष का अनुभव।

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optometry Officer.	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-08 (47600-151100/-) in the pay matrix.	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Promotion failing which by deputation	**Promotion:** Senior Optometrist in Level- 7 of the pay -matrix (44900-142400/-) with two years regular service in the grade and having successful completion of training of 2-4 weeks in the relevant field to be prescribed by the Department or Ministry. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories; A.(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, - अध्यक्ष; (ii) संबंधित विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, - सदस्य; (iii) उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; (iv) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. स.11018/31/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th December, 2022

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare , Dr. Ram Manohar Lohia Hospital , New Delhi , Optometry Officer (Group 'B' post) Recruitment, Rules 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Optometry Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Optometry Officer (Group 'B' Post) , Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

		(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7(44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre or department: and (b) possessing the following educational qualification and experience; (i) Bachelor's Degree in Optometry from a recognised University or Institute. (ii) Two years' experience in Optometry in a hundred bedded Government hospital or recognised research institute. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationsits shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' , Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Chairman; (ii) Head of the concerned Department , Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member; (iii) Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member; (iv) Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on Deputation basis.

[F. No. A.11018/31/2019-MH.II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 को, जहां तक इसका संबंध प्रधान लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में प्रधान लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, प्रधान लिपिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।